

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	वनाम	विप्रार्थीगण
पाबुराम पुत्र किरताराम जाति सुथार, निवासी धारवीखुर्द तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज राज्य जरिये तहसीलदार शिव वगैरा (07)

किरम मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 131, 136)

मुकदमा नम्बर 64 / 2023

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27.03.2023	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 05.05.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी शिव</p>	<p>1349-1355 29.03-23</p>
05.05.23	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्य में व्यस्त होने के कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 14.06.23 को पेश हो।</p>	
14.06.23	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आधिकारता उपास्थित। प्रार्थी आधिकारता द्वारा विधायीगण के नोटिस व डिलेवरी रिपोर्ट पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण का इन्तजार होकर दिनांक 26.06.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी</p>	



28.07.25 पत्रावली पेशा वाकुलाय उपस्थित।  
पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक  
18.08.25 3 वेग घे।

उपखण्ड अधिकारी  
शिव

7

18.08.25

पत्रावली पेशा वाकुलाय उपस्थित।  
पत्रावली में अज्ञापक अधिकार की बहस सुनी गई एवं  
पत्रावली का अवलोकन किया गया। जर्मी वकील द्वारा  
प्रपती बहस में विचारित आगामी के संबंध में नौके  
पर कक्षा काश्त एवं पुश्त पर अंकित तरमीन  
में मिनता होने पर पुश्त पर अंकित तरमीन  
अनुसार तरमीन दुपती का निवेदन किया गया। निजार्मी  
वकील द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वर्तमान  
तरमीन एक बरंगरा दवा अनुसार है। उक्त बरंगरा का  
रेकॉर्ड में दर्ज करते समय परगामी द्वारा लार्डन खींची  
गई है। तरमीन वर अनुसार ही की गई है। 102  
नौका रिपोर्ट में भी विभाजन प्रस्ताव की तरमीन, वर्तमान  
तरमीन एवं नौके पर कक्षा काश्त में एककपता  
होने से उक्त तरमीन दुपती आवेदन चलने भोग्य नहीं  
होने से खारिज फासला जावे।

अज्ञापक को सुना एवं पत्रावली व 102 शिव से  
जाफ नौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। नौके  
उक्त बरंगरा नौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है  
कि विभाजन प्रस्ताव की तरमीन, वर्तमान लक्ष्य नमूना  
तरमीन तथा नौके पर कक्षा काश्त में एककपता व  
समानता होने से जर्मी द्वारा पुश्त पर अंकित तरमीन  
अनुसार दुपती जारी गई है, जो अचित प्रतीत तरी  
होती है। लिहाजा उक्त स्थिति में जर्मी का आवेदन  
इसी स्टेज पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया  
जाया है।

पत्रावली वाकिल उपस्थित हो।

उपखण्ड अधिकारी  
शिव